आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

16/06/21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 48/2019--2020

(भूदान पत्र--दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता मोस्मात राम सखी कुँवर, पति--अविशरण ओझा, बैकुण्ठ वाद, ग्राम--कोयल भूपत, थाना--मेहन्दिया, जिला--अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद--सह--अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान--यज्ञ--दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान--यज्ञ--दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:--

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
39	112	02 एकड़ 72 डी०	उतर--नीज दक्षिण--पिण्ड पूरब--नीज पश्चिम--नीज

मौजा--परासी थाना--परासी, थाना नं०--324, जिला--अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 84[illegible] दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, कलेर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया तथा अंचल अधिकारी, कलेर से कार्यालय पत्रांक 834 दिनांक 31.12.2019 भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। दाता के तरफ से कोई वाद में उपस्थित नही हुए और ना ही इस वाद में किसी के द्वारा आपति दर्ज की गई। अंचल अधिकारी, कलेर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में दखल कब्जाधारी बचन सिंह, पिता--बखोरी सिंह, ग्राम--कोईल भूपत को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। कब्जाधारी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं आवेदन दाखिल किया गया।

कब्जाधारी ने आवेदन में उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित भूमि दान पत्र में खाता संख्या--39, खेसरा संख्या--112, रकवा--02 एकड़ 72 डी० है जबकि खाता संख्या--67 में खेसरा संख्या--112, एराजी 23 डी० ही है। यह भूमि मेरी रैयति है जिसका राजस्व का भुगतान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उक्त भूमि मेरे दखल कब्जा में है और शांति पूर्वक जोत कोड़ आवाद कर रहे हैं।

भूदान यज्ञ दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, कलेर का जॉच प्रतिवेदन तथा कब्जाधारी द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर

अंकित है। भूदाता द्वारा दान पत्र में प्रस्तावित भूमि दिनांक 13.02.1954 में दान दिया गया है। अंचल अधिकारी, कलेर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि जमाबंदी कायम नही है। भूमि रैयति खाते की है। वचन सिंह, पिता–बखोरी सिंह वर्तमान में दखल कब्जा में है। ग्रामीण द्वारा बताया गया है कि यह भूमि दानकर्ता का नही है। कब्जाधारी किसान है। कब्जाधारी द्वारा खतियान का छाया प्रति दाखिल किया है एवं मालगुजारी रसीद का छायाप्रति संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, कलेर के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि दानकर्ता का भूमि नही है। यह भूमि कब्जाधारी का है। खतियान में खाता संख्या–67, खेसरा संख्या–112, रकवा–23 अंकित है। जबकि दान पंत्र में खाता संख्या–39, खेसरा संख्या–112, रकवा–02 एकड़ 72 डी० अंकित है जिसे प्रतीत होता है कि प्रस्तावित भूमि भूदाता का नही है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के एवं अंचल अधिकारी, कलेर के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्रस्तावित भूमि को असम्पुष्ट की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, कलेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

(ह०) 16/06/2024

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

(ह०) 16/06/2024

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।